न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 25.10.2024

सलाउद्दीन कुरैशी पुत्र शाहबुद्दीन कुरैशी निवासी रेगरो का मोहल्ला टोंक रोड निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

1—नगर पालिका निवाई जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका निवाई जिला टोंक
2—नगर पालिका निवाई जरिये अध्यक्ष नगर पालिका निवाई जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11.06.2024 नगर पालिका निवाई अन्तर्गत धारा 282(5) व 269 (4) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

उपस्थिति : (1) **श्री** काशिफ खान जुबेरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री शकंर लाल चौधरी,अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय **दिनांक** 20.02.2025

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका निवाई ने अपने आदेश दिनांक 11.06.2024 के द्वारा अपीलान्ट कि दुकान की सीजींग की कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव अभिभाषक रेस्पो.की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विभाग द्वारा नगर पालिका अधिनियम Food and Safty Act- 2006 के अनुसार तथ्यो का मनन नहीं कर उक्त सीज की कार्यवाही की गयी है। अधीनस्थ विभाग द्वारा दिनांक 11.06.2024 को अपीलान्ट जो कि अधीनस्थ विभाग के क्षेत्राधिकार में एक छोटी मांस की दुकान विधीक तौर पर Food and Safty Act. का लाईसेंस लेकर संचालित करता है,को विधि विधान व बिना कानूनी पहलुओ पर गौर किये, बिना किसी कानूनी नियम के दिनांक 11.06.2024 को सीज कर दिया, जो कि खिलाफ कानून व प्रिनसिपल ऑफ नेव्यूरल जस्टीस के खिलाफ है। अधीनस्थ विभाग नगर पालिका निवाई द्वारा अपीलान्ट की दुकान सीज करने के बाद दिनांक 21.06 2024 को मीट विक्रय लाईसेंस के लिये कमीपूर्ति नोटिस दिया गया, जिसका जवाब अपीलान्ट जो कि नगर पालिका निवाई का निवासी है, अपनी एक छोटी मांस की दुकान नगर पालिका निवाई के क्षेत्राधिकार में संचालित करता है। उक्त दुकान का अपीलान्ट द्वारा Food and Safty Act. से संचालन सर्टिफिकेट भी विधिक तौर पर वर्ष 2025 तक प्राप्त किया हुआ है। उक्त दुकान को नगर पालिका निवाई द्वारा दिनांक 11.06.2024 को नगर पालिका अधिनियम की धारा 232,

जिला कलेक्टर
टोंक

233, 247, 267, 269, 270, 282 व 285 के अन्तर्गत नोटिस देते हुऐ (नोटिस में सीज से पूर्व के नोटिस) के कमांक आदि जगहो को रिक्त छोड़ते हुऐ सीज कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त सीज आदेश दिनांक 11.06.2024 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 15454/2024 में मनमाना, गैर कानूनी व संवैधानिक अधिकारो की कटौती बनाते हुऐ चुनौती दी गई, जिसमे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने दिनांक 10.10.2024 को आदेश पारित करते हुऐ अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर टोंक) को 6 हफ्ते के अन्दर अपील के निस्तारण के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ विभाग नगर पालिका निवाई द्वारा नगर पालिका एक्ट 2009 के प्रावधानो के विपरीत कार्यवाही करते हुए अविधिका व खिलाफे कानून होते हुए अपीलान्ट की दुकान को सीज किया गया है। कानूनी व नियम अनुसार एक छोटी मांस की दुकान संचालित करने के लिये किसी भी व्यक्ति को Food and Safty Act- 2006 व Food and Safty Standerd (Licensing and registration of Food buisness) Regulation 2011 के अनुसार अनुमति रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जो कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.03.2023 को प्राप्त किया हुआ है, जो कि लगातार 15.03.2025 तक प्रभावी है। अपीलान्ट को Food and Safty Act- 2006 and regulation 2011 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति पत्र (लाईसेंस) प्राप्त करने के बाद अधीनस्थ विभाग द्वारा किसी भी तरह के लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट Food and Safty Act 2006 की धारा 89 के अनुसार अधिनियम 2006 देश व प्रदेश के सभी Food Related law पर अधिभावी प्रभाव (Overriding Effect) रखता है। Food and Safty Act 2006 or Food and Safty Standard Regulation 2011 के अनुसार जब केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम कानून व दिशा निर्देश समस्त देश के लिये जारी कर लाईसेंस देने/अनुमति देने का कानून पहले से प्रभाव में है, तो अधीनस्थ विभाग नगर पालिका निवाई द्वारा अपीलान्ट से लाईसेंस की अनुमति/मांस बैचने की अनुमति आदि की मांग को लेकर दुकान को सीज कर देना एक भारी कानूनी भूल, असहनीय त्रुटि है, जिसके कारण अपीलान्ट को व्यवसायिक तौर पर काफी खामियाजा व मानसिक वेदना का सामना करना पड़ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका निवाई का आदेश निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट सं0 53426/2017 उनवान दीन मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ यु.पी. के निर्णय दिनांक 10.09.2018 उद्वरित किये है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पो.ने कथन किया कि जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के आदेश क्रमांक 29554 दिनांक 25.12.2023 द्वारा संचालित वैध/अवैध बुचडखानों की जांच के लिए समिति का गठन कर अवैध रूप से संचालित बुचडखानों को अबिलम्ब हटाने हेतु आदेशित किया गया था,जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी निवाई के पत्रांक 4611–13 दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवैध रूप से संचालित बुचडखानों को हटाने हेतु निर्देशित किया गया। नगर पालिका निवाई के आदेश क्रमांक 331 दिनाक 26.12.23 द्वारा उक्त आदेशों की पालना में वैध/अवैध बुचडखानो की जांच/सर्वे हेतु नगर पालिका निवाई के स्तर पर टीम गठित की गई। नगर पालिका टीम द्वारा आदेशों की पालना में वैध/अवैध बूचड़खानो की जांच/सर्वे किया गया,जिसमें पालिका क्षेत्र में मांस विक्रय हेतु मीट शोप संचालित पाई गई। नगर पालिका सीजिंग की कार्यवाही के पश्चात उक्त दुकानदार द्वारा दिनांक 13.06.2024 को मीट लाईसेन्स हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया,जिसमे कमी पूर्ति हेतु पालिका द्वारा दिनांक 21.06.2024 को नोटिस जारी किया गया है। दुकानदार द्वारा उक्त लाईसेन्स हेतु आवेदन पत्र में आज दिनांक तक दस्तावेजों की कमी पूर्ति पूर्ण नहीं की गई

जिला कलेक्टर
टोंक

है।अपीलांट द्वारा खाद्य लाईसेन्स लिया जाना बताया गया है।,जो कि खाने की गुणवता बाबत जारी किया जाता है न की नगर पालिका क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित दुकान में मांस विक्रय किये जाने हेतु अधिकृत नहीं करता है एवं नगर पालिका ऐसे लाईसेन्स के आधार पर अवैध निर्मित दुकान से व्यवसायिक कियाकलाप हेतु बाध्य नहीं है तथा नगर पालिका क्षेत्र में मांस/मछली इत्यादि के विक्रय हेतु व्यवसायिक प्रयोजनार्थ गतिविधि किये जाने से पूर्व पालिका से व्यवसायिक पट्टा लिया जाना नियम संगत है।राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 के अन्तर्गत नगर पालिका के लिए यह निर्देश करना विधिपूर्ण होगा की उससे असंबंधित अथवा उसमे अनिहित कोई स्थान धारा 340 की उप धारा (1) के खण्ड अ में निर्देशित प्रयोजन के लिए नगर पालिका से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के अनुसार से अनथा उपयोग में नहीं लाया जायेगा। जिससे नगर पालिका या तो सामान्य रूप से अथवा वैयक्ति प्रकरणों में ऐसी अनुज्ञप्तिया समय समय पर मंजूर निलम्बित विधारित अथवा प्रत्याद्वात कर सकेंगी। इस प्रकार उक्त अवैध मीट मछली मांस की दुकान बिना नगर पालिका की स्वीकृती बिना निर्माण स्वीकृती, बिना व्यवसायिक पट्टा हासिल किये अवैध रूप से संचालित की जा रही थी,जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194, 232, 233, 247, 267, 269, 270, 282 के तहत अपराध है। इस प्रकार नगर पालिका निवाई द्वारा की गई सीजींग की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव अभिभाषक रेस्पो. की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ कार्यालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का गहन अध्ययन किया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के आदेश क्रमांक 29554 दिनांक 25.12.2023 द्वारा संचालित वैध/अवैध बुचडखानों की जांच के लिए समिति का गठन कर अवैध रूप से संचालित बुचडखानों को अबिलम्ब हटाने हेतु आदेशित किया गया था, जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी निवाई ने पत्रांक 4611–13 दिनांक 26.12.2023 द्वारा अवैध रूप से संचालित बुचडखानों को हटाने हेतु निर्देशित किया गया। नगर पालिका निवाई के आदेश क्रमांक 331 दिनाक 26.12.23 द्वारा उक्त आदेशों की पालना में वैध/अवैध बुचडखानो की जांच/सर्वे हेतु नगर पालिका निवाई के स्तर पर टीम गठित की गई। नगर पालिका टीम द्वारा आदेशों की पालना में वैध/अवैध बूचड़खानो की जांच/सर्वे किया गया है।अपीलांट ने अपील मीमो के बिन्दु संख्या 8 में अपनी मांस की दुकान होना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा जो लाईसेंस Medical Health and Family Welfare Department Food Safety and Standards Authority of India Registration Certificate under FSS Act, 2006 के तहत दिनांक 16.03.2023 को प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 15.03.2025 तक वैध है। लाईसेंस में Kind of Business-Hawker (Itinerant/Mobile food Vendor) अंकित है, जबकि अपीलांट मांस की दुकान संचालित करता आ रहा है। मांस की दुकान के संचालित के लिए अपीलांट को Kind of Business-Retailer का लाईसेंस लेना चाहिए था, जो अपीलांट के पास नहीं है और ना ही अपीलांट ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 के अन्तर्गत नगर पालिका निवाई से अपनी मांस की दुकान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। The Food Safety & Standards (Licensing and Registration of Food Businesses)Regulations, 2011 Notification dated 1 st August 2011 के Part –4 में Specific Hygienic and Sanitary Practices to be followed by Food Business Operators engaged in manufacture, processing, storing and selling of Meat and Meat Products

जिला कलेक्टर
टोंक

A. Slaughter House

Food Business Operator which slaughter large animals and small animals including sheep and goat or poultry birds within the premises of his factory for production of meat/meat products for supply/sale/distribution to the shall comply with the following requirments:-

1- General Requirments:

1.1 No objection Certificate to be obtained from local Authority before grand of license. का उल्लेख है। इस प्रकार मीट की दुकान संचालित करने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है,जो अपीलांट के पास नही है।

अपीलांट ने नगर पालिका द्वारा दुकान की सीजिंग की कार्यवाही के बाद दिनांक 13.06.2024 को मीट लाईसेन्स हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता हैं कि नगर पालिका निवाई द्वारा दिनांक 11.06.2024 को अपीलांट की दुकान को सीजिंग करने के समय अपीलांट के पास Kind of Business-Retailer का लाईसेंस नहीं था। नगरपालिका निवाई द्वारा सीजिंग की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। ऐसी स्थिति मे नगरपालिका निवाई द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर नगरपालिका निवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2024 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)